बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-१ कार्यवाही प्रश्नोत्तर।)

शनिवार, तिथि १२ जुलाई, १९८० ई०।

विषय-सूची।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर:

अल्प-सूचित- प्रश्नोत्तर संख्या--१४ एवं १५	१-९
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या--५, ६, १४, १८, १९, २५, १५९, एवं १६६, १६०, १६६, १६७ एवं १७७।	१०-३०
परिशिष्ट--(प्रश्नों के लिखित उत्तर)	३०-४८
दैनिक निबन्ध	४९

टिप्पणी--जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया हैं उनके नाम के पीछे तारे (*) का चिन्ह लगा दिया गया है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह--सरकुलर को मद्देनजर रखते हुए सरकार कार्रवाई करेगी ?

श्री शिवचन्द्र झा--११ फरवरी १९८० को सदन में सरकार ने स्वीकार किया था कि १९७६ तक श्री बी० ठाकुर पर कोई आरोप नहीं है और जो प्राथमिकी उनके खिलाफ दर्ज है, उसमें सारे अभियोग १९७६ के पहले के हैं, यह सत्य है या नहीं ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—हां।

श्री सिन्हा के विरुद्ध कार्रवाई

*१४. श्री देवनाथ प्रसाद – क्या मंत्री, विद्युत विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री एन० पी० सिन्हा जब मुख्य अभियन्ता, संचार थे तो उन्होंने जयपुर के फार्म को बिजली के टावर बनाने के लिये लोहा दिया था;

(२) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त फर्म ने ९७० मेट्रीक टन लोहा का हिसाब बोर्ड को आज तक नहीं दिया जिसके कारण बोर्ड को लाखों रुपये का भारी नुकसान हुआ;

(३) क्या यह बात सही है कि श्री सिन्हा ने उपरोक्त फर्म से शेष लोहे की वसूली की कोई कार्रवाई नहीं की;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपरोक्त फर्म से लोहे की वसूली तथा श्री सिन्हा के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

*श्री सदानन्द सिंह—(१) उत्तर नकारात्मक है। मेसर्स मान इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, जयपुर को १९६४ में ही पतरातु डिहरी २२० के० भी० लाइन के लिए टावर सप्लाई करने का आर्डर दिया गया था। जिसके लिए औपचारिक एकरारनामा दिनांक ३१ जनवरी १९६४ में हुआ। इसके अनुसार मान इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन को १९६४ से १९६८ तक २,७६२.८४ टन लोहा दिया गया था। श्री एन० पी० सिन्हा ने मुख्य अभियन्ता संचारण का पद भार सितम्बर, १९७२ में ग्रहण किया किया था अतः श्री सिन्हा द्वारा लोहा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

२। मेसर्स मान इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन को कुल २,७७२.८४ टन लोहा दिया गया था जिसमें उन्होंने १,१३९.२५ टन का टावर बनाकर बोर्ड को वापस भेजा। बाकी १,६३४ टन का हिसाब तो उन्होंने दिया परन्तु इस लोहे को बोर्ड को नहीं लौटाया। लोहे की कीमत की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की गयी है। फलतः नुकसान का सवाल ही नहीं उठता है।

३। उत्तर नकारात्मक है। श्री सिन्हा ने अपना पदभार ग्रहण करने के तुरत बाद ही मेसर्स मान इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन से लोहा लौटाने की कार्रवाई शुरु कर दी जिसके फलस्वरुप मान इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन ने ७ फरवरी १९७३ को लोहे कीमत बोर्ड को वापस भुगतान करने के लिए एकरारनामा किया। लोहे का दाम १२.९० लाख रुपये थे जिसमें मेसर्स मान इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन ने अप्रील १९७३ तक ३.५० लाख का भुगतान किया। मेसर्स मान इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन को ९५.३०३ रुपया का बिल बोर्ड के पास बकाया था जो मेसर्स मान इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन को नहीं दिया गया। इस तरह करीब ४.४५ लाख रुपये की वसूली हुई। अप्रील १९७३ के बाद मेसर्स मान इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन ने भुगतान करना बन्द कर दिया जिसके फलस्वरुप मनीसूट मुकदमा दायर किया, जिसकी संख्या मनीसूट नं०१४८/१९७६ है। यह मुकदमा अभी सबजज पटना के कोर्ट में लम्बित है।

४। खंड ३ में दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट है कि बोर्ड मेसर्स मान इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन से लोहे की शेष कीमत वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई कर चुकी है। वर्णित परिस्थिति में श्री सिन्हा के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवनाथ प्रसाद—माननीय मंत्री ने स्वीकारा है कि इसमें काफी गोलमटोल हुआ है, बोर्ड की काफी नुकसानी हुई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि श्री सिन्हा के खिलाफ इस राशि को वसूलने के लिए एफ० आई० आर० दर्ज किया गया है या नहीं ?

श्री सदानन्द सिंह—इसमें एफ० आई० आर० का प्रश्न नहीं उठता है। मैंने कहा कि वे (श्री सिन्हा) सितम्बर १९७२ में वहां आए, आने पर उन्होंने वसूलने की कार्रवाई प्रारंभ की, एक एकरारनामा हुआ। उसके तहत २ लाख २५ हजार

(७५ हजार, ७५ हजार और ९५ हजार, जो बकाया था वह वसूल हुआ। शेष बकाए के लिए उनको बुलाया गया। इसपर वे देने के लिए तैयार नहीं हुए तो मनीसूट किया गया ?

श्री देव नाथ प्रसाद—१९७२ से क्या कार्रवाई हुई ?

(जवाब नहीं मिला)

श्री हेमन्त कुमार झा—क्या सरकार बताएगी कि १६३४ मेट्रिक टन लोहे की वसूली नहीं हुई जिसकी कीमत ७५ लाख रुपया है और किसी न किसी तरह इतनी लम्बी अवधि ली गई तो क्या सरकार इसके विरुद्ध जांच कराकर सारी जानकारी सदन को देगी कि गड़बड़ी हुई है या नहीं, बोर्ड को नुकसान हुआ है या नहीं ?

श्री सदानन्द सिंह—मैंने पहले कहा कि ८ लाख ४५ हजार ५६९ रुपये तत्कालीन के हिसाब से लोहे की कीमत होती थी, उसके बाद उस पर इन्टरेस्ट का क्लेम किया गया ३ लाख १४ हजार ४०० रुपया यानी कुल ११ लाख ५९ हजार ९५९ का मनीसूट दायर किया। इस तरह इन्टेरेस्ट के साथ मनीसूट दायर किया गया है। मैं समझता हूं कि अब इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

श्री हेमन्त कुमार झा—हम जानना चाहते हैं कि किस अौथोरिटी ने उनको इतना लोहा दे दिया था कि इतने काम के बाद भी डेयोढा दुगुणा लोहा का स्टाक रह गया था ?

श्री सदानन्द सिंह—इसमें बोर्ड में एक रिज्यौलुशन हुआ उसके अनुसार ३१ जनवरी १९६४ को तत्कालीन चीफ इंजीनियर, श्री बी० एन० ओझा थे, उन्होंने ऐग्रिमेंट किया और उस ऐग्रिमेंट के अनुसार देना पड़ा।

श्री रामाश्रय राय—क्या यह सही है कि पब्लिक डिमांड एक्ट के अनुसार वसूली नहीं कर उनको बचाने के लिए मनि सुट दायर किया गया जिसमें बीस वर्ष लग जायगा ?

श्री सदानन्द सिंह—ऐसी बात नहीं है।

श्री राज कुमार पूर्वे—श्री बी० एन० ओझा जब इतने एक्सपर्ट थे और उन्होंने ऐसा काम किया तो क्या उनको फिर बोर्ड में लेना चाहते हैं ?

श्री सदानन्द सिंह--उनका दोष नहीं था।

श्री राज मंगल मिश्र—उस फर्म को फरदर काम करने का आदेश दिया गया था या नहीं ?

श्री सदानन्द सिंह—जी नहीं।

श्री सिंह पर कार्रवाई

*१८. श्री गणेश प्रसाद यादव--क्या मंत्री, विद्युत विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि कार्यकारी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, भागलपुर श्री सरयु प्रसाद सिंह से उनकी संपत्ति का विवरण अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्य अचल, पटना ने अपने पत्रांक ३३४२, दिनांक २२ नवम्बर १९७८, पत्रांक २३०, दिनांक २ फरवरी १९७९, पत्रांक १७७६, दिनांक १७ जुलाई १९७९ पत्रांक २६१८, दिनांक १५ अक्टूबर १९७९ एवं पत्रांक ३१३५, दिनांक २२ दिसम्बर १९७९ के द्वारा मांगा है;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री सिंह ने उक्त पत्रों एवं स्मार-पत्रों के द्वारा माँगी गयी संपत्ति का विवरण सरकार को नहीं दिया है;

(३) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार श्री सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, और नहीं, तो क्यों ?

श्री सदानन्द सिंह--(१) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। प्रश्न में उल्लिखित पत्र संख्याएं श्री सिंह के सम्पत्ति विवरण से सम्बन्धित नहीं है। अधीक्षण अभियंता विद्युत कार्य अंचल पटना ने पत्र संख्या २२५३ दिनांक २५ जुलाई, १९७८ द्वारा श्री सिंह से उनकी सम्पत्ति का विवरण मांगा है और इस सम्बन्ध में अधीक्षण अभियंता के पत्रांक १५१६ दिनांक २० जून, १९७९ के द्वारा अंतिम स्मार भी दिया गया है।

२. श्री सिंह से सम्पत्ति का विवरण उनके पत्र सं० ८३१, दिनांक ८ जुलाई, १९८० द्वारा सरकार को प्राप्त हो गया है।